

सं० 9/6/2015-निदे (कैं०)
भारत सरकार
कार्मिक लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खानमार्किट, नई, दिल्ली-110003
दिनांक 19 मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : "अनुभव" – सेवा के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य की जानकारी प्रदान करना –
विभागीय कैंटीनों से सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी द्वारा विवरण प्रस्तुत करना।

सेवा निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा में दौरान किये गये उत्कृष्ट कार्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुभव नामक एक आनलाईन प्रणाली विकसति की गई है। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी, मंत्रालयों/विभागों के कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षी द्वारा इसके अप्लीकेशन के प्रयोग से संबधित निर्देश इस मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं० 4/2/2013-पी एंड पी डब्लू (समन्वय) दिनांक 19.2.2015 तथा 5.3.2015 के अन्तर्गत जारी किये गये हैं जो कि persmini.nic.in की website पर उपलब्ध है।

2. कृपया उपरोक्त निर्देशों को आपके मंत्रालय तथा आपके आधीनस्त अन्य कार्यालयों के अन्तर्गत विभागीय कैंटीन कर्मचारी जो कि निकट भविष्य में सेवानिर्वत होने वाले हैं उनके द्वारा उनके अनुभवों को आनलाईन प्रणाली में अंकित कराने में उनकी सहायता की जाय। विभागीय कैंटीन कर्मचारी जनरल सैन्टरल सर्विस (जी सी एस) की श्रेणी में आते हैं। आपसे अनुरोध है कि विभागीय कैंटीन से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों का उनकी सेवा काल में जो अनुभव होगा उसका "अनुभव" पोर्टल पर लोड कराने में उनकी सहायता प्रदान करें।

प्र. त्यागी
(प्रतिमा त्यागी)
निदेशक (कैंटीन्स)

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग